भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3216
दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

हिंगोली में जल जीवन मिशन का विस्तार

†3216. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिलः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हिंगोली जिले के कई गाँव और अर्ध-शहरी क्षेत्र, विशेष रूप से गर्मियों के महीनों में गंभीर पेयजल संकट, पाइप से अनियमित जलापूर्ति, सूखते बोरवेल और अपर्याप्त जल भंडारण सुविधाओं का सामना कर रहे हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत बंद पाइपलाइनों को बदलने, नए निस्पंदन इकाइयों की स्थापना और हिंगोली के जल-संकट वाले ग्राम पंचायतों में घरेलू नल कनेक्शन की व्यवस्था करने सहित कार्यों को तेजी से लागू करने और विस्तार करने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) स्थानीय कृषि को सहायता प्रदान करने हेतु छोटे सिंचाई तालाबों की मरम्मत, बाँधों से गाद निकालने और लंबित उद्वह-सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के माध्यम से सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं और इन मुद्दों के समाधान के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है; और
(घ) क्या हिंगोली जिले के लिए विशेष सहायता पैकेज स्वीकृत की जाएगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): पेयजल राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति स्कीमों/परियोजनाओं की आयोजना, डिजाईन, अनुमोदन और कार्यान्वयन का अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से हिंगोली जिले में ग्रामीण परिवारों का नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की

शुरुआत में, केवल 37,291 (17.35%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, लगभग 1.45 लाख और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 15.12.2025 तक, हिंगोली जिले के 2.15 लाख ग्रामीण परिवारों में से 1.82 लाख (84.68%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, ग्रामीण परिवारों को कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पेयजल आपूर्ति योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। पुरानी और निष्क्रिय पाइपलाइनों को बदलने, जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने, शोधन/निस्पंदन इकाइयों की स्थापना और हिंगोली जिले में पानी की कमी से जूझ रही ग्राम पंचायतों में नल जल कनेक्शन के प्रावधान सहित कार्य अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं और राशि की उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं। भारत सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है, जबकि कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग): भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)" शुरू की थी, जिसका उद्देश्य खेत में पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत के जल उपयोग दक्षता में सुधार लाना, सतत जल संरक्षण परिपाटियों को लागू करना आदि है। हर खेत को पानी (एचकेकेपी) पीएमकेएवाई के घटकों में से एक है। सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और बहाली (आरआरआर) की योजना अब पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी का एक हिस्सा बन गई है। जल शक्ति मंत्रालय जल निकायों की एसएमआई और आरआरआर स्कीमों के अंतर्गत सिंचाई क्षमता (आईपी) के सृजन और बहाली के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता (सीए) प्रदान करता है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी को जारी रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर, 2021 में डब्ल्यूबी योजनाओं के एसएमआई और आरआरआर के लिए 4.50 लाख हेक्टेयर की लक्षित सिंचाई क्षमता को मंजूरी दी है।

(घ): जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत आबंटित, जारी की गई और महाराष्ट्र द्वारा उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	केंद्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के तहत व्यय
	अथ शेष	आबंटित निधि	राज्य द्वारा	कुल उपलब्ध	संसूचित उपयोग	

			आहरित निधि	निधि		
2019-20	248.12	847.97	345.28	593.4	308.04	431.79
2020-21	285.35	1,828.92	457.23	742.58	473.59	324.56
2021-22	268.99	7,064.41	1,666.64	1,935.63	377.98	477.98
2022-23	1,557.65	7,831.25	3,915.62	5,473.27	3,109.69	2,972.21
2023-24	2,363.74	21,465.88	7,444.26	9,808.00	8,208.53	8,371.34
2024-25	1,599.47	5,352.93	1,605.88	3,205.35	2,235.12	3,150.59

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

आबंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों से संबंधित जिला-वार सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

***